

फर्द अहकाम

(नियम 13)

LCMS
2020/00025
12/01/2021

अज अदालत तहसीलदार / नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री टीकभाराम

हलका ~~नेहरो की ढाणी~~

पुत्र श्री राजू राम जाति पाट

निवासी - ~~नेहरो की ढाणी~~

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 22/वर्ष 2020

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
24-7-2020	पटवारी हलका नेहरो की ढाणी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2017 में मौजा नेहरो की ढाणी के खसरा नंबर 202 रकबा 0.0320 हे. किस्म भूमि अ. मु. सिरोन पर नाजायज अतिक्रमण कर कारत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 13-8-2020 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
13-8-2020	पत्रावली भाग पेश हुई। अध्यात्मप द्वारा जारी नोटिस भद्र तामिल साफ तारीख पेशी बढाई जाकर पत्रावली दिनांक 26-8-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	
26-8-2020	पत्रावली भाग पेश हुई। गैर साफ उपस्थित। गैर साफ के एक और भवत डिग्रा प्रकर पत्रावली दिनांक 16-9-2020 को पेश हो। तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	टीकभाराम

16-9-2020

पत्रावली भाल पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित।
गैर सामल को जवाब हेतु भवत दिना जाकर
पत्रावली दिनांक 22-10-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

22-10-2020

पत्रावली भाल पेश हुई। गैर सामल
अनुपस्थित। गैर सामल को जवाब
हेतु एक और भवत दिना जाकर
पत्रावली दिनांक 28-10-2020 को पेश हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर

28-10-2020

पत्रावली भाल पेश हुई। गैर सामल अनुपस्थित।
गैर सामल को अतिरिक्त मानते हुए, एक तरफ
कार्पवही भाल के त्राई जाकर पत्रावली फैसल
सुमार हो। निर्णय भलग से लिखा जाकर
शामिल पत्रावली हो। निर्णय सुले न्यायालय
के सुनाया गया। पत्रावली फैसल सुमार
होकर डालर डालि हो।

तहसीलदार सिणधरी
जिला-वाड़मेर